प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **16/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी पताः वार्ड नंबर 8, कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

.............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 11.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/16/25 /131–32 दिनांक 31.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः आर.टी.आई./2025/34 दिनांक 25.02.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2025/09 दिनांक 14.01.2025 से प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः निवेदन है कि सूचना शेष नहीं होने से अपील खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना कार्यालय की आंतरिक सूचनाओं से संबंधित होने से सूचना के संबंध में औचित्यपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना पुलिस थाना वल्लभनगर से संबंधित होने से थानाधिकारी, पुलिस थाना वल्लभनगर में सम्पर्क करने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किस प्रकार से आंतरिक सूचनाओं से संबंधित है के बारे में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा गया। जिनके द्वारा जरिये पत्रांक 40 दिनांक 22.03.2025 से अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण देय नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है एवं सूचना किस प्रकार से आंतरिक सूचनाओं से संबंधित है इसका स्पष्टीकरण भी नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में सूचना उपलब्ध कराये एवं की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर